Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **वन विभाग के रेंजर व सहायक वनपाल 78 हजार रूपये नगद एवं एक लाख बीस हजार का चैक बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 24 मार्च, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी कोटा स्पेशल यूनिट द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी श्री राजेन्द्र चौधरी रेंजर, रेंज बोराव एवं श्री राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक वनपाल नाका लोटयाना (उंडाखाल) रेंज बोराव जिला चित्तौडगढ़ को परिवादी से 78 हजार रूपये नगद व 01 लाख बीस हजार का सेल्फ चैक कुल **01 लाख 98 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी कोटा स्पेशल यूनिट को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी द्वारा स्वंय के साथी की फर्म को निविदा से अलग वन क्षेत्र में ट्रेन्च व गड्डे खुदवाने का कार्य करवाये जा रहे है। वर्तमान समय में जितना काम करवा चुका हूँ उसका वन विभाग से भौतिक सत्यापन करवाने के बाद अलग–अलग राशि के बिल पेश किये थे उक्त बिलो का भौतिक सत्यापन होने के बाद भी रेंजर व सहायक वनपाल द्वारा बिल बनाने की एवज में रिश्वत मांग कर परेशान किया जा रहा था रेंजर राजेन्द्र चौधरी द्वारा स्वंय के लिए 20 प्रतशित (आंवटित निविदा राशि का) व सहायक वनपाल हेतु 02 प्रतिशत (आंवटित निविदा राशि का) रिश्वत राशि मांग की जा रही थी।

जिस पर एसीबी कोटा रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री शिवराज मीणा** के सुपरविजन में एसीबी कोटा स्पेशल यूनिट के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकुल शर्मा** के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री पृथ्वीराज मीणा** द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया। दौराने सत्यापन सहायक वनपाल राजेन्द्र मीणा द्वारा 50 हजार रूपये प्राप्त किये गये तथा आज दिनांक 24.03.2025 को श्री पृथ्वीराज मीणा पुलिस निरीक्षक मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए आरोपीगण रेंजर श्री राजेन्द्र चौधरी व वनपाल श्री राजेन्द्र मीणा को परिवादी से 78 हजार रूपये नगद व एक लाख बीस हजार का सेल्फ चैक कुल 01 लाख 98 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों दोनो आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपीगण से पूछताछ व कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।